



डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उ०प्र० सेक्टर-11, जानकीपुरम विस्तार योजना, लखनऊ-226031

पत्रांक:-ए०के०टी०यू०/कुस०का०/स०वि०/2023/005/20056

दिनांक: 15 September 2023

सेवा में,

निदेशक/प्राचार्य,

RAJA BALWANT SINGH MANAGEMENT TECHNICAL
CAMPUS, AGRA - 005

Khandari Farm, Agra-282002 , Agra

विषय: शैक्षिक सत्र 2023-24 की अस्थायी सम्बद्धता (Provisional Affiliation) के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली, फार्मसी काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं काउन्सिल आफ आर्किटेक्चर, नई दिल्ली (यथा लागू) के द्वारा सत्र 2023-24 हेतु आपके संस्थान को प्रदान की गयी मान्यता पर विश्वविद्यालय सम्बद्धता समिति द्वारा दिनांक 28.07.2023 को विचारोपरान्त की गई संस्तुतियों एवं इन संस्तुतियों के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या 2023/सोलह-1-2023-13(01)/2018 दिनांक 29 जुलाई, 2023 एवं 2046/सोलह-1-2022-13(01)/2018 दिनांक 04 अगस्त, 2023 के अनुसार मा० कार्यपरिषद की दिनांक 11.09.2023 की बैठक में प्रदत्त किये गये अनुमोदन एवं सम्बद्धता समिति द्वारा दिनांक 08.09.2023 को विचारोपरान्त की गयी संस्तुतियों एवं इन संस्तुतियों के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या 2464/सोलह-1-2023 दिनांक 14.09.2023 के अनुसार, विश्वविद्यालय में प्रवर्तित उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 23(2) के अधीन मा० कार्यपरिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में संस्थान को निम्नांकित विवरण के अनुसार स्वचित पोषित योजना के अन्तर्गत शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु विश्वविद्यालय द्वारा अस्थाई सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है, विवरण निम्नानुसार है।

Course	Branch	Intake Applied	Approved Intake by AICTE	Approved Intake by COA/PCI	Intake Approved for Affiliation
Master of Computer Applications *	MCA	60	60	0	60
Masters of Business Administration	MBA	180	180	0	180
Masters of Business Administration	MBA in Tourism Management	60	60	0	60
MBA(Integrated)	MBA(Integrated)	60	60	0	60
MCA(Integrated)	MCA(Integrated)	120	120	0	120

उपरोक्त अस्थायी सम्बद्धता निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:-

- संस्थान द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल आफ इण्डिया/काउन्सिल आफ आर्किटेक्चर/डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित भूमि, भवन, अवस्थापना सुविधाएं पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित पठन-पाठन/पाठ्यचर्या, प्रयोगशाला हेतु निर्धारित उपकरण, फैकल्टी अनुपात, रैगिंग निरोधक तथा विश्वविद्यालय के निरीक्षक मण्डल द्वारा संस्था के निरीक्षण (यथा लागू) में दर्शायी गई कमियाँ/मानकों

को पूर्ण कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में संस्था को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धतंत्र का होगा।

2. निरीक्षण मण्डल द्वारा अवस्थापना सुविधाओं एवं सेवायोजित शिक्षकों के सत्यापन के साथ-साथ संस्थान के लेखा का आडिट भी विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी समय किया जा सकता है।
3. बी.टेक./एम.टेक./बी.फार्म/एम.फार्म./बी.आर्क./एम.आर्क. इत्यादि पाठ्यक्रम संचालित करने वाले संस्थानों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मसी काउंसिल आफ इण्डिया/काउंसिल आफ आर्किटेक्चर (यथा लागू) के द्वारा पाठ्यक्रम संचालन हेतु निर्धारित मानको की पूर्ति एवं संबंधित काउंसिल से सत्र विशेष हेतु अनुमोदन भी प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। संस्थान द्वारा निर्धारित मानको को पूर्ण न करने की दशा में एवं ए0आई0सी0टी0ई0/पी.सी.आई./सी.ओ.ए. (यथा लागू) के द्वारा अनुमन्य प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश लेने की दशा में विश्वविद्यालय द्वारा संस्थान को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धतंत्र का होगा।
4. संस्थान प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन/डा0ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उ0प्र0 द्वारा प्रवेश/शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा नियमानुसार अनुमन्य फीस ही प्रवेशित छात्रों से लेगा। साथ ही, संस्थान शिक्षण-प्रशिक्षण से सम्बन्धित शासन/विश्वविद्यालय द्वारा वांछित सूचना उन्हें समय से उपलब्ध करायेगा। संस्थान द्वारा उपर्युक्त अपेक्षाओं में विफल रहने पर सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
5. संस्था को सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त यदि संस्था द्वारा आनलाइन आवेदन के समय भरी गयी सूचनाओं/विवरण तथा सम्बद्धता संबंधी शुल्क न जमा करने तथा सीटों की संख्या में किसी भी प्रकार की त्रुटि शासन/विश्वविद्यालय के संज्ञान में आती है तो संस्था को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान का होगा।
6. विश्वविद्यालय में प्रवर्तित उ0प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय के प्रथम विनियमावली 2010 के अध्याय-6 (सम्बद्धता) में उल्लिखित समस्त प्राविधानों का पालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
7. संस्थान 30 सितम्बर, 2023 के पूर्व नियामक संस्थाओं द्वारा उसे अनुमन्य प्रवेश क्षमता के सापेक्ष नियामक संस्था के मानको के अनुरूप अपेक्षित संख्या में, निर्धारित अर्हता धारक शिक्षक एवं निदेशक/प्राचार्य की नियुक्ति पूर्ण कर लेगा। इन शिक्षकों की सूची तथा चयन से सम्बन्धित समस्त अभिलेख विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया जायगा एवं इस आशय का नोटराईज्ड शपथ पत्र देना होगा कि उनके द्वारा नियमानुसार अपेक्षित संख्या में शिक्षको की नियुक्ति कर ली गई है। विश्वविद्यालय द्वारा इनके स्वतंत्र सत्यापन में कोई त्रुटि, कूट रचना/विसंगति पायी जाती है तो संस्थान को प्रदत्त अस्थायी सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयः संस्थान का होगा।
8. सत्र प्रारम्भ होने के उपरान्त यदि संस्था के निदेशक/प्राचार्य का पद रिक्त होता है तो पद रिक्त होने की तिथि से तीन-माह के अन्दर रिक्त पद पर चयन की कार्यवाही पूर्ण कर नियुक्त कर ली जाय जिसकी सूचना विश्वविद्यालय को अवश्य कराये। (विनियम: 6.15)
9. सत्र 2023-24 के प्रारम्भ होने के पूर्व संस्थान विश्वविद्यालय को कार्यरत शिक्षकों के संबंध में दी गयी सूची में उल्लिखित किसी भी शिक्षक को सत्र के दौरान बिना विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति के सेवा से निकाला नहीं जा सकेगा।
10. सत्र प्रारम्भ होने के पश्चात् संस्था में कार्यरत शिक्षकों द्वारा संस्था छोड़ने की स्थिति में 15 दिन (कार्य दिवस) के अन्दर विश्वविद्यालय को अवश्य सूचित करें। (विनियम: 6.18)
11. शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर स्टाफ के वेतन का आहरण नियमित रूप से किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। (विनियम: 6.25बी.)
12. लैब एवं उसके उपकरणों का सम्पूर्ण विवरण संस्था के सूचना पट, वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी सूचना से भी विश्वविद्यालय को अवगत कराये। (विनियम: 6.13)
13. संस्थान की समस्त सूचनाएं संस्था के सूचना पट, वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी सूचना से भी विश्वविद्यालय को अवगत कराये। (विनियम: 6.16)

14. संस्थान द्वारा छात्रों से लिये गये शुल्क की सूचना संस्था द्वारा अपनी वेबसाइट पर तथा संस्था के सूचना पट पर अवश्य चस्पा की जायेगी। इसकी सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी अन्यथा संस्था के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जायेगा।
15. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/पी0सी0आई0/सी0ओ0ए0 (यथा लागू) की मान्यता समाप्त होने या निरस्त किये जाने या प्रत्याहित करने की दशा में सम्बद्धता का यह अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
16. फार्मसी तथा आर्किटेक्चर की विधाओं के शिक्षण प्रशिक्षण से सम्बद्ध संस्थाओं को इन विधाओं के समस्त पाठ्यक्रमों हेतु सम्बन्धित व्यवसाय नियामक संगठन फार्मसी काउंसिल आफ इण्डिया/आर्किटेक्चर काउंसिल आफ इण्डिया (यथा लागू) से सत्र 2023-24 हेतु मान्यता का अनुमति पत्र, प्रवेश हेतु आहूत की जाने वाली प्रवेश की काउंसिलिंग के पूर्व विश्वविद्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा। मान्यता आदेश अप्राप्त रहने की दशा में संस्थाओं को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी। संस्थान मान्यता प्राप्त न होने की दशा में फार्मसी तथा वास्तुकला के समस्त पाठ्यक्रमों में संस्थान सत्र 2023-24 में किसी भी नये छात्र को पाठ्यक्रम विशेष में न तो काउंसिलिंग और न ही अपने स्तर से सीधे रिक्त सीट या प्रबन्धकीय सीट पर प्रवेश दे सकेगा। इन परिस्थितियों के लिए संस्थान स्वयं उत्तरदायी होगा।
17. संस्थान का शैक्षिक सत्र के अन्तर्गत किसी भी समय औचक निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकता है और उक्त औचक निरीक्षण में निर्धारित मानकों के सापेक्ष कमियों के दृष्टिगत सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।
18. जिन संस्थानों की अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/पी0सी0आई0/सी0ओ0ए0 एवं विश्वविद्यालय के मानकों के सम्बन्ध में शासन अथवा विश्वविद्यालय स्तर से कोई निरीक्षण अथवा जांच की जाती है अथवा कोई नोटिस जारी की जाती है तो सम्बन्धित संस्थानों की सम्बद्धता, तदकार्यवाही के अधीन होगी।
19. संस्थान द्वारा प्रवेश में उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों/अनु0 जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2006, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश मानकों, एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों से नियमानुसार निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का शुल्क न लिए जाने सम्बन्धित राज्य सरकार के शासनादेश के व्यवस्थाओं का अनुपालन न करने की स्थिति में, सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
20. विभिन्न संवर्गों के छात्रों हेतु शुल्क प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों का अनुपालन संस्थान द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि, संस्थान द्वारा इन आदेशों की अवहेलना की जाती है तो उस स्थिति में उनकी सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
20. संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि संस्थान में नवप्रवेशित/अध्ययनरत छात्रों से वही शुल्क लिया जाए जो शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित किया गया हो। अन्य किसी प्रकार का शुल्क/डोनेशन लेने की शिकायत पर विश्वविद्यालय द्वारा संस्था की सम्बद्धता समाप्त करने एवं संस्था को "Black List" करने की कार्यवाही की जायेगी।
22. विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक एवं परीक्षा संबंधी कार्यों हेतु संस्थान के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दिये गये दायित्वों का पालन सुनिश्चित करवाना, संस्थान का दायित्व होगा। संस्थान का यह दायित्व होगा कि वह शिक्षक अथवा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को तत्काल ही कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे। कतिपय कारणोंवश यदि ऐसा सम्भव न हो तो संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन में विचलन अथवा संस्था के औचक निरीक्षण में किसी प्रकार की कमियां पायी जाने की स्थिति में संस्था की अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धतंत्र का होगा।

(डॉ० डी०पी० सिंह)

उप कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक: उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 कुलाधिपति/श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश, राजभवन लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मैसी काउन्सिल आफ इण्डिया/काउन्सिल आफ आर्किटेक्चर, नई दिल्ली।
4. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
5. गार्ड फाइल।



APPROVAL PROCESS 2023-24

Extension of Approval (EoA)

F.No. Northern/1-36232192016/2023/EOA

Date: 15-May-2023

To,

The Principal Secretary (Tech. Edu.)
Govt. of Uttar Pradesh,
Sachiv Bhawan, Lucknow-226001,
12A, Navin Bhawan,
U.P. Lucknow-226001

Sub: Extension of Approval for the Academic Year 2023-24

Ref: Online application of the Institution submitted for Extension of Approval for the Academic Year 2023-24

Sir/Madam,

In terms of the provisions under the All India Council for Technical Education (Grant of Approvals for Technical Education) Regulations, 2020 notified on 4th February 2020 and amended on 24th February 2021 and norms standards, procedures and conditions prescribed by the Council from time to time, I am directed to convey the approval to:

Permanent Id	1-5891675	Application Id	1-36232192016
Name of the Institution	FACULTY OF PG DEGREE IN BUSINESS ADMINISTRATION, R.B.S.COLLEGE, AGRA.	Name of the Society/Trust	BALWANT EDUCATIONAL SOCIETY
Institution Address	KHANDARI FARM CAMPUS, KHANDARI, AGRA, AGRA, AGRA, Uttar Pradesh, 282002	Society/Trust Address	FMCA, R.B.S. COLLEGE, KHANDARI FARM CAMPUS, AGRA-282002.,AGRA,AGRA,Uttar Pradesh,282002
Institution Type	Private-Self Financing	Region	Northern
Year of Establishment	1999		

To conduct following Courses with the Intake indicated below for the Academic Year 2023-24

Level	Program	Course	Affiliating Body (University /Body)	Intake Approved for 2022-23	Intake Approved for 2023-24	NRI Approval Status	FN / Gulf quota/ OCI/ Approval Status
POST GRADUATE	MANAGEMENT	MBA	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	180	180	No	No
POST GRADUATE	MANAGEMENT	MBA(TRAVEL AND TOURISM)	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	60	60	No	No

To conduct following Dual/Integrated Courses with the Intake indicated below for the Academic Year 2023-24

Level	Program	Course	Affiliating Body (Univ/Body)	Intake Approved for 2022-23	Intake Approved for 2023-24
Integrated	MANAGEMENT	MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (INTEGRATED)	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	60	60

It is mandatory to comply with all the essential requirements as given in APH 2023-24 (Appendix 6)

Important Instructions

1. The State Government/ UT/ Directorate of Technical Education/ Directorate of Medical Education shall ensure that 10% of reservation for Economically Weaker Section (EWS) as per the reservation policy for admission, operational from the Academic year 2019-20 is implemented without affecting the reservation percentages of SC/ ST/ OBC(NCL) / General. However, this would not be applicable in the case of Minority Institutions referred to the Clause (1) of Article 30 of Constitution of India. Such Institution shall be permitted to increase in annual permitted strength over a maximum period of two years.
2. The Institution offering courses earlier in the Regular Shift, First Shift, Second Shift/Part Time are now amalgamated as total intake and shall have to fulfil all facilities such as Infrastructure, Faculty and other requirements as per the norms specified in the Approval Process Handbook 2023-24 for the Total Approved Intake. Further, the Institutions Deemed to be Universities/ Institutions having Accreditation/ Autonomy status shall have to maintain the Faculty: Student ratio as specified in the Approval Process Handbook.
3. Strict compliance of Anti-Ragging Regulation, Establishment of Committee for SC/ ST, Establishment of Internal Committee (IC), Establishment of Online Grievance Redressal Mechanism, Barrier Free Built Environment for disabled and elderly persons, Fire and Safety Certificate should be maintained as per the provisions made in Approval Process Handbook and AICTE Regulation notified from time to time.
4. In case of any differences in content in this Computer generated Extension of Approval Letter, the content/information as approved by the Executive Council / General Council as available on the record of AICTE shall be final and binding.
5. As per the AICTE Notification dated 29.01.2014 and amended thereto, it shall be mandatory for each Technical Education Institution, University Department and Institution Deemed to be University imparting Technical Education to get accreditation (NBA) for at least 60% of the eligible courses in the next ONE (1) Years' time, otherwise EoA for the subsequent Academic Year (A.Y. 2024-25) shall not be issued by the Council.
6. Deemed to be University: Institutions Deemed to be Universities (Running Technical Education Programmes), it is mandatory to have AICTE approval from the Academic Year 2018-19 in compliance of the Hon'ble Supreme Court Order dated 03-11-2017 passed in CA No.17869- 17870 /2017.

**Prof.Rajive Kumar
Member Secretary, AICTE**

Copy to:

1. **The Director Of Technical Education**, Uttar Pradesh**
2. **The Registrar**,
Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow**

3. **The Principal / Director,**
FACULTY OF PG DEGREE IN BUSINESS ADMINISTRATION, R.B.S.COLLEGE, AGRA.
Khandari Farm Campus, Khandari, Agra,
Agra,Agra,
Uttar Pradesh,282002

4. **The Secretary / Chairman,**
FMCA,
R.B.S. COLLEGE, KHANDARI FARM CAMPUS, AGRA- 282002.
AGRA,AGRA
Uttar Pradesh,282002

5. **Guard File(AICTE)**

Note: Validity of the Course details may be verified at <http://www.aicte-india.org/>

** Individual Approval letter copy will not be communicated through Post/Email. However, a consolidated list of Approved Institutions(bulk) may be downloaded from the respective login id's.

This is a computer generated Statement. No signature Required



APPROVAL PROCESS 2023-24

Extension of Approval (EoA)

F.No. Northern/1-36257990556/2023/EOA

Date: 15-May-2023

To,

The Principal Secretary (Tech. Edu.)
Govt. of Uttar Pradesh,
Sachiv Bhawan, Lucknow-226001,
12A, Navin Bhawan,
U.P. Lucknow-226001

Sub: Extension of Approval for the Academic Year 2023-24

Ref: Online application of the Institution submitted for Extension of Approval for the Academic Year 2023-24

Sir/Madam,

In terms of the provisions under the All India Council for Technical Education (Grant of Approvals for Technical Education) Regulations, 2020 notified on 4th February 2020 and amended on 24th February 2021 and norms standards, procedures and conditions prescribed by the Council from time to time, I am directed to convey the approval to:

Permanent Id	1-5926911	Application Id	1-36257990556
Name of the Institution	FACULTY OF PG DEGREE IN COMPUTER APPLICATION, R.B.S.COLLEGE, AGRA	Name of the Society/Trust	BALWANT EDUCATIONAL SOCIETY
Institution Address	KHANDARI FARM CAMPUS, KHANDARI, AGRA, AGRA, AGRA, Uttar Pradesh, 282002	Society/Trust Address	KHANDARI FARM CAMPUS, KHANDARI, AGRA, AGRA, AGRA, Uttar Pradesh, 282002
Institution Type	Private-Self Financing	Region	Northern
Year of Establishment	1999		

To conduct following Courses with the Intake indicated below for the Academic Year 2023-24

Level	Program	Course	Affiliating Body (University /Body)	Intake Approved for 2022-23	Intake Approved for 2023-24	NRI Approval Status	FN / Gulf quota/ OCI/ Approval Status
POST GRADUATE	COMPUTE R APPLICATI ONS	MASTERS IN COMPUTER APPLICATIONS	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	60	60	No	No

To conduct following Dual/Integrated Courses with the Intake indicated below for the Academic Year 2023-24

Level	Program	Course	Affiliating Body (Univ/Body)	Intake Approved for 2022-23	Intake Approved for 2023-24
Integrated	COMPUTER APPLICATIONS	MASTER OF COMPUTER APPLICATIONS (INTEGRATED)	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	120	120

It is mandatory to comply with all the essential requirements as given in APH 2023-24 (Appendix 6)

Important Instructions

1. The State Government/ UT/ Directorate of Technical Education/ Directorate of Medical Education shall ensure that 10% of reservation for Economically Weaker Section (EWS) as per the reservation policy for admission, operational from the Academic year 2019-20 is implemented without affecting the reservation percentages of SC/ ST/ OBC(NCL) / General. However, this would not be applicable in the case of Minority Institutions referred to the Clause (1) of Article 30 of Constitution of India. Such Institution shall be permitted to increase in annual permitted strength over a maximum period of two years.
2. The Institution offering courses earlier in the Regular Shift, First Shift, Second Shift/Part Time are now amalgamated as total intake and shall have to fulfil all facilities such as Infrastructure, Faculty and other requirements as per the norms specified in the Approval Process Handbook 2023-24 for the Total Approved Intake. Further, the Institutions Deemed to be Universities/ Institutions having Accreditation/ Autonomy status shall have to maintain the Faculty: Student ratio as specified in the Approval Process Handbook.
3. Strict compliance of Anti-Ragging Regulation, Establishment of Committee for SC/ ST, Establishment of Internal Committee (IC), Establishment of Online Grievance Redressal Mechanism, Barrier Free Built Environment for disabled and elderly persons, Fire and Safety Certificate should be maintained as per the provisions made in Approval Process Handbook and AICTE Regulation notified from time to time.
4. In case of any differences in content in this Computer generated Extension of Approval Letter, the content/information as approved by the Executive Council / General Council as available on the record of AICTE shall be final and binding.
5. As per the AICTE Notification dated 29.01.2014 and amended thereto, it shall be mandatory for each Technical Education Institution, University Department and Institution Deemed to be University imparting Technical Education to get accreditation (NBA) for at least 60% of the eligible courses in the next ONE (1) Years' time, otherwise EoA for the subsequent Academic Year (A.Y. 2024-25) shall not be issued by the Council.
6. Deemed to be University: Institutions Deemed to be Universities (Running Technical Education Programmes), it is mandatory to have AICTE approval from the Academic Year 2018-19 in compliance of the Hon'ble Supreme Court Order dated 03-11-2017 passed in CA No.17869- 17870 /2017.

Prof.Rajive Kumar
Member Secretary, AICTE

Copy to:

1. **The Director Of Technical Education**, Uttar Pradesh**
2. **The Registrar**,
Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow**
3. **The Principal / Director,**

FACULTY OF PG DEGREE IN COMPUTER APPLICATION, R.B.S.COLLEGE, AGRA
Khandari Farm Campus, Khandari, Agra,
Agra,Agra,
Uttar Pradesh,282002

4. **The Secretary / Chairman,**
KHANDARI FARM CAMPUS, KHANDARI, AGRA
AGRA,AGRA
Uttar Pradesh,282002

5. **Guard File(AICTE)**

Note: Validity of the Course details may be verified at <http://www.aicte-india.org/>

** Individual Approval letter copy will not be communicated through Post/Email. However, a consolidated list of Approved Institutions(bulk) may be downloaded from the respective login id's.

This is a computer generated Statement. No signature Required



पत्रांक:-ए०के०टी०यू०/कुस०का०/स०वि०/2022/17279 (005)

दिनांक: 23 सितम्बर, 2022

College Code 005

सेवा में,

निदेशक/प्राचार्य,

RAJA BALWANT SINGH MANAGEMENT TECHNICAL CAMPUS, AGRA

Khandari Farm, Agra-282002, Agra

विषय: शैक्षिक सत्र 2022-23 की अस्थायी सम्बद्धता (Provisional Affiliation) के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली, फार्गेंसी काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं काउन्सिल आफ आर्किटेक्चर, नई दिल्ली (यथा लागू) के द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आपके संस्थान को प्रदान की गयी मान्यता पर विश्वविद्यालय की सम्बद्धता समिति द्वारा विचारोपरान्त की गई संस्तुतियों एवं इन संस्तुतियों के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या 1794/सोलह-1-2022-13(01)/2018 दिनांक 02 सितम्बर, 2022 के अनुसार, विश्वविद्यालय में प्रवर्तित उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 23(2) के अधीन मा० कार्यपरिषद से अनुमोदन की प्रत्याशा में संस्थान को निम्नांकित विवरण के अनुसार स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु विश्वविद्यालय द्वारा अस्थाई सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है, विवरण निम्नानुसार है।

Course Name	Branch Name	Shift	Affiliation Intake Applied for	AICTE Sanctioned Intake	COA/PCI Sanctioned Intake	Affiliation Intake Approved
Master of Computer Applications *	MCA	Shift I	60	60	0	60
Masters of Business Administration	MBA	Shift I	180	180	0	180
Masters of Business Administration	MBA in Tourism Management	Shift I	60	60	0	60
MBA(Integrated)	MBA(Integrated)	Shift I	60	60	0	60
MCA(Integrated)	MCA(Integrated)	Shift I	120	120	0	120

उपरोक्त अस्थायी सम्बद्धता निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:-

- संस्थान द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित भूमि, भवन, अवस्थापना सुविधाएं पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित पठन-पाठन/पाठ्यचर्या, प्रयोगशाला हेतु निर्धारित उपकरण, फैंकल्टी अनुपात, रैगिंग निरोधक तथा विश्वविद्यालय के निरीक्षक मण्डल द्वारा संस्था के निरीक्षण (यथा लागू) में दर्शायी गई कमियाँ/मानकों को पूर्ण कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में संस्था को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धतंत्र का होगा।
- निरीक्षण मण्डल द्वारा अवस्थापना सुविधाओं एवं सेवायोजित शिक्षकों के सत्यापन के साथ-साथ संस्थान के लेखा का आडिट भी विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी समय किया जा सकता है।
- बी.फार्म/एम.फार्म./बी.आर्क./एम.आर्क. पाठ्यक्रम संचालित करने वाले संस्थानों को फार्गेंसी काउन्सिल आफ इण्डिया/काउन्सिल आफ आर्किटेक्चर (यथा लागू) के द्वारा पाठ्यक्रम संचालन हेतु निर्धारित मानकों की पूर्ति एवं संबंधित काउन्सिल से सत्र विशेष हेतु अनुमोदन भी प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। संस्थान द्वारा निर्धारित मानकों को पूर्ण न करने की दशा में एवं अगातशिप/पी.सी.आई./सी.ओ.ए. (यथा लागू) के द्वारा अनुमन्य प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश लेने की दशा में विश्वविद्यालय द्वारा संस्थान को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धतंत्र का होगा।
- संस्थान प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन/डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उ०प्र० द्वारा प्रवेश/शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निगमानुसार अनुमन्य फीस ही प्रवेशित छात्रों से लेगा। साथ ही, संस्थान शिक्षण-प्रशिक्षण से सम्बन्धित शासन/विश्वविद्यालय द्वारा वांछित सूचना उन्हें समय से उपलब्ध करायेगा। संस्थान द्वारा उपर्युक्त अपेक्षाओं में विफल रहने पर सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।


5. संस्था को सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त यदि संस्था द्वारा आनलाइन आवेदन के समय भरी गयी सूचनाओं/विवरण तथा सम्बद्धता संबंधी शुल्क न जमा करने तथा सीटों की संख्या में किसी भी प्रकार की त्रुटि शासन/विश्वविद्यालय के संज्ञान में आती है तो संस्था को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान का होगा।
6. विश्वविद्यालय में प्रवर्तित उ०प्र० प्राविधिक विश्वविद्यालय के प्रथम विनियम 2010 के अध्याय-6 (सम्बद्धता) में उल्लिखित प्राविधानों का पालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
7. संस्थान 10 अक्टूबर, 2022 के पूर्व नियामक संस्थाओं द्वारा उसे अनुमन्य प्रवेश क्षमता के सापेक्ष नियामक संस्था के मानकों के अनुरूप अपेक्षित संख्या में, निर्धारित अर्हता धारक शिक्षक एवं निदेशक/प्राचार्य की नियुक्ति पूर्ण कर लेगा। इन शिक्षकों की सूची तथा चयन से सम्बन्धित समस्त अभिलेख विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया जायेगा एवं इस आशय का नोटर्साइज्ड शपथ पत्र देना होगा कि उनके द्वारा नियमानुसार अपेक्षित संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति कर ली गई है। विश्वविद्यालय द्वारा इनके स्वतंत्र सत्यापन में कोई त्रुटि, कूट रचना/विसंगति पायी जाती है तो संस्थान को प्रदत्त अस्थायी सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान का होगा।
8. कतिपय संस्थानों में प्रवेश क्षमता में अभिवृद्धि/नवीन पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की गयी है कि ऐसे संस्थानों का विश्वविद्यालय द्वारा मानकानुसार, अवस्थापना एवं मानव संसाधन इत्यादि सुविधाओं का स्थलीय निरीक्षण काउन्सिलिंग प्रारम्भ होने से पूर्व आवश्यकतानुसार कराया जा सकता है तथा निरीक्षण दल की अनुशंसा के क्रम में ही सत्र 2022-23 में प्रवेश की कार्यवाही सम्पन्न करायी जा सकेगी।
9. सत्र प्रारम्भ होने के उपरान्त यदि संस्था के निदेशक/प्राचार्य का पद रिक्त होता है तो पद रिक्त होने की तिथि से तीन-माह के अन्दर रिक्त पद पर चयन की कार्यवाही पूर्ण कर नियुक्त कर ली जाय जिसकी सूचना विश्वविद्यालय को अवश्य कराये। (विनियम: 6.15)
10. सत्र 2022-23 के प्रारम्भ होने के पूर्व संस्थान विश्वविद्यालय को कार्यरत शिक्षकों के संबंध में दी गयी सूची में उल्लिखित किसी भी शिक्षक को सत्र के दौरान बिना विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति के सेवा से निकाला नहीं जा सकेगा।
11. सत्र प्रारम्भ होने के पश्चात् संस्था में कार्यरत शिक्षकों द्वारा संस्था छोड़ने की स्थिति में 15 दिन (कार्य दिवस) के अन्दर विश्वविद्यालय को अवश्य सूचित करें। (विनियम: 6.18)
12. शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर स्टाफ के वेतन का आहरण नियमित रूप से किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। (विनियम: 6.25बी.)
13. लैब एवं उसके उपकरणों की सम्पूर्ण विवरण संस्था के सूचना पट, वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी सूचना से भी विश्वविद्यालय को अवगत कराये। (विनियम: 6.13)
14. संस्थान की समस्त सूचनाएं संस्था के सूचना पट, वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी सूचना से भी विश्वविद्यालय को अवगत कराये। (विनियम: 6.16)
15. संस्थान द्वारा छात्रों से लिये गये शुल्क की सूचना संस्था द्वारा अपनी वेबसाइट पर तथा संस्था के सूचना पट पर अवश्य चरपा की जायेगी। इसकी सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी अन्यथा संस्था के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जायेगा।
16. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/पी०सी०आई०/सी०ओ०ए० (यथा लागू) की मान्यता समाप्त होने या निरस्त किये जाने या प्रत्याहित करने की दशा में सम्बद्धता का यह अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
17. फार्मसी तथा आर्किटेक्चर की विधाओं के शिक्षण प्रशिक्षण से सम्बद्ध संस्थाओं को इन विधाओं के समस्त पाठ्यक्रमों हेतु सम्बन्धित व्यवसाय नियामक संगठन फार्मसी काउंसिल आफ इण्डिया/आर्किटेक्चर काउंसिल आफ इण्डिया (यथा लागू) से सत्र 2022-23 हेतु मान्यता का अनुमति पत्र, प्रवेश हेतु आहूत की जाने वाली प्रवेश की काउंसिलिंग के पूर्व विश्वविद्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा। मान्यता आदेश अप्राप्त रहने की दशा में संस्थाओं को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी। संस्थान मान्यता प्राप्त न होने की दशा में फार्मसी तथा वास्तुकला के समस्त पाठ्यक्रमों में संस्थान सत्र 2022-23 में किसी भी नये छात्र को पाठ्यक्रम विशेष में न तो काउंसिलिंग और न ही अपने स्तर से सीधे रिक्त सीट या प्रबन्धकीय सीट पर प्रवेश दे सकेगा। इन परिस्थितियों के लिए संस्थान स्वयं उत्तरदायी होगा।
18. संस्थान का शैक्षिक सत्र के अन्तर्गत किसी भी समय औचक निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकता है और उक्त औचक निरीक्षण में निर्धारित मानकों के सापेक्ष कमियों के दृष्टिगत सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।
19. जिन संस्थानों की अभातिशिप/पी०सी०आई०/सी०ओ०ए० एवं विश्वविद्यालय के मानकों के सम्बन्ध में शासन अथवा विश्वविद्यालय स्तर से कोई निरीक्षण अथवा जांच की जाती है अथवा कोई नोटिस जारी की जाती है तो सम्बन्धित संस्थानों की सम्बद्धता, तत्कार्यवाही के अधीन होगी।
20. संस्थान द्वारा प्रवेश में उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों/अनु० जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2006, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश मानकों, एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों से नियमानुसार निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का शुल्क न लिए जाने सम्बन्धित राज्य सरकार के शासनादेश के व्यवस्थाओं का अनुपालन न करने की स्थिति में, सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
21. विभिन्न संवर्गों के छात्रों हेतु शुल्क प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों का अनुपालन संस्थान द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि, संस्थान द्वारा इन आदेशों की अवहेलना की जाती है तो उस स्थिति में उनकी सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
22. संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि संस्थान में नवप्रवेशित/अध्ययनरत छात्रों से वही शुल्क लिया जाए जो शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित किया गया हो। अन्य किसी प्रकार का शुल्क/डोनेशन लेने की शिकायत पर विश्वविद्यालय द्वारा संस्था की सम्बद्धता समाप्त



करने एवं संस्था को "Black List" करने की कार्यवाही की जायेगी।

23. विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक एवं परीक्षा संबंधी कार्य हेतु संस्थान के शिक्षकों एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को दिये गये दायित्वों का पालन सुनिश्चित करवाना, संस्थान का दायित्व होगा। संस्थान का यह दायित्व होगा कि वह शिक्षक अथवा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को तत्काल ही कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे। कतिपय कारणोंवश यदि ऐसा सम्भव न हो तो संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
24. विगत शैक्षिक सत्र में पाठ्यक्रमों में पंजीकृत छात्रों की न्यून संख्या, मानकानुसार अपेक्षित संख्या में न्यून संख्या में उपलब्ध अर्ह शिक्षकों एवं पंजीकृत छात्रों के न्यूनतर परीक्षा परिणाम के कारण कतिपय संस्थानों की स्वीकृत प्रवेश क्षमता का एक निश्चित प्रतिशत का सम्बद्धन सत्र 2022-23 हेतु स्थगित रखा गया है। आगामी सत्र 2023-24 हेतु सम्बद्धता जारी करने के पूर्व इन्हें पुनर्जीवित करने या संशोधित करने पर विश्वविद्यालय द्वारा समीक्षा की जायेगी।
25. पाठ्यक्रम विशेष में सम्बद्धता की लम्बित क्षमता की गणना सम्बद्धता विवरण की तालिक के स्तम्भ 5 या 6 (यथा लागू) को घटा कर प्राप्त की जा सकती है।

उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन में विचलन अथवा संस्था के औचक निरीक्षण में किसी प्रकार की कमियां पायी जाने की स्थिति में संस्था की स्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धतंत्र का होगा।


(डॉ० राजीव कुमार सिंह)
उप कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक: उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, मा० कुलाधिपति/श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश, राजभवन लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
4. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
5. गार्ड फाइल।



APPROVAL PROCESS 2022-23

Extension of Approval (EOA)

F.No. Northern/1-10968526078/2022/EOA

Date: 02-Jun-2022

To,

The Principal Secretary (Tech. Edu.)
Govt. of Uttar Pradesh,
Sachiv Bhawan, Lucknow-226001,
12A, Navin Bhawan,
U.P. Lucknow-226001

Sub: Extension of Approval for the Academic Year 2022-23

Ref: Application of the Institution for Extension of Approval for the Academic Year 2022-23

Sir/Madam,

In terms of the provisions under the All India Council for Technical Education (Grant of Approvals for Technical Institutions) Regulations, 2022 Notified on 4th February, 2022 and amended on 24th February 2022 and norms standards, procedures and conditions prescribed by the Council from time to time, I am directed to convey the approval to

Permanent Id	1-5891675	Application Id	1-10968526078
Name of the Institution	FACULTY OF PG DEGREE IN BUSINESS ADMINISTRATION, R.B.S.COLLEGE, AGRA.	Name of the Society/Trust	BALWANT EDUCATIONAL SOCIETY
Institution Address	KHANDARI FARM CAMPUS, KHANDARI, AGRA, AGRA, AGRA, Uttar Pradesh, 282002	Society/Trust Address	FMCA, R.B.S. COLLEGE, KHANDARI FARM CAMPUS, AGRA-282002.,AGRA,AGRA,Uttar Pradesh,282002
Institution Type	Private-Self Financing	Region	Northern
Year of Establishment	1999		

To conduct following Courses with the Intake indicated below for the Academic Year 2022-23

Level	Program	Course	Affiliating Body (University /Body)	Intake Approved for 2021-22	Intake Approved for 2022-23	NRI Approval Status	FN / Gulf quota/ OCI/ Approval Status
POST GRADUATE	MANAGEMENT	MBA	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	180	180	NA	NA
POST GRADUATE	MANAGEMENT	MBA(TRAVEL AND TOURISM)	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	60	60	NA	NA

To conduct following Dual/Integrated Courses with the Intake indicated below for the Academic Year 2022-23

Level	Program	Course	Affiliating Body (Univ/Body)	Intake Approved for 2021-22	Intake Approved for 2022-23
Integrated	MANAGEMENT	MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (INTEGRATED)	Uttar Pradesh Technical University, Lucknow	60	60

It is mandatory to comply with all the essential requirements as given in APH 2022-23 (Appendix 6)

Important Instructions

1. The State Government/ UT/ Directorate of Technical Education/ Directorate of Medical Education shall ensure that 10% of reservation for Economically Weaker Section (EWS) as per the reservation policy for admission, operational from the Academic year 2019-20 is implemented without affecting the reservation percentages of SC/ ST/ OBC (NCL)/ General. However, this would not be applicable in the case of Minority Institutions referred to the Clause (1) of Article 30 of Constitution of India. Such Institution shall be permitted to increase in annual permitted strength over a maximum period of two years.
2. The Institution offering courses earlier in the Regular Shift, First Shift, Second Shift/Part Time are now amalgamated as total intake and shall have to fulfil all facilities such as Infrastructure, Faculty and other requirements as per the norms specified in the Approval Process Handbook 2022-23 for the Total Approved Intake. Further, the Institutions Deemed to be Universities/ Institutions having Accreditation/ Autonomy status shall have to maintain the Faculty: Student ratio as specified in the Approval Process Handbook. All such Institutions/ Universities shall have to create the necessary Faculty, Infrastructure and other facilities WITHIN 2 YEARS to fulfil the norms based on the Affidavit submitted to AICTE beginning with the Academic Year 2022-23
3. Strict compliance of Anti-Ragging Regulation, Establishment of Committee for SC/ ST, Establishment of Internal Complaint Committee (ICC), Establishment of Online Grievance Redressal Mechanism, Barrier Free Built Environment for disabled and elderly persons, Fire and Safety Certificate should be maintained as Approval Process Handbook and provisions made in AICTE Regulation notified from time to time.
4. In case of any differences in content in this Computer generated Extension of Approval Letter, the content/information as approved by the Executive Council / General Council as available on the record of AICTE shall be final and binding.

Pharmacy Institute: In compliance with the order dated 05.03.2020 passed by the Hon'ble Supreme Court of India in Transferred Petitions (CIVIL) No 87-101 of 2014, for the existing institutions offering courses in Pharmacy Programme, approval of Pharmacy Council of India (PCI) is mandatory and AICTE approval is NOT required. The requirements for running the Programme (Diploma / UG / PG) such as Land & Build-up Area, Student-faculty ratio, Intake etc. will be as per the respective regulatory body (PCI). In case of any inconsistency in the course name and intake for EoA issued by AICTE and the approval by PCI, the approval of PCI shall prevail.

Architecture Institute: In compliance with the order dated 08.11.2019 passed by the Hon'ble Supreme Court of India in CA No.364/ 2005, for the existing Institutions offering Courses in Architecture Programme, approval by the Council of Architecture (CoA) is mandatory and AICTE approval is NOT required. The requirements for running the Programme (Diploma / UG / PG) such as Land & Build-up Area, Student-faculty ratio, Intake etc. will be as per respective regulatory body (CoA). In case of any inconsistency in the course name and intake for EoA issued by AICTE and the approval by CoA, the approval of CoA shall prevail.

Deemed to be University: Institutions Deemed to be Universities (Running Technical Education Programmes), it is mandatory to have AICTE approval from the Academic Year 2018-19 in compliance of the Hon'ble Supreme Court Order dated 03-11-2017 passed in CA No.17869- 17870 /2017.

Prof.Rajive Kumar
Member Secretary, AICTE

Copy to:

1. **The Director Of Technical Education****, Uttar Pradesh
2. **The Registrar****,
Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow
3. **The Principal / Director**,
FACULTY OF PG DEGREE IN BUSINESS ADMINISTRATION, R.B.S.COLLEGE, AGRA.
Khandari Farm Campus, Khandari, Agra,
Agra,Agra,
Uttar Pradesh,282002
4. **The Secretary / Chairman**,
FMCA,
R.B.S. COLLEGE, KHANDARI FARM CAMPUS, AGRA- 282002.
AGRA,AGRA
Uttar Pradesh,282002
5. **The Regional Officer**,
All India Council for Technical Education
Govt. Polytechnic Campus
Adjoining Directorate of Technical Education
Vikas Nagar, Kanpur-208 002, Uttar Pradesh
6. **Guard File(AICTE)**

Note: Validity of the Course details may be verified at <http://www.aicte-india.org/>

** Individual Approval letter copy will not be communicated through Post/Email. However, consolidated list of Approved Institutions(bulk) will be shared through official Email Address to the concerned Authorities mentioned above.

This is a computer generated Statement. No signature Required



APPROVAL PROCESS 2022-23

Extension of Approval (EOA)

F.No. Northern/1-10969065377/2022/EOA

Date: 02-Jul-2022

To,

The Principal Secretary (Tech. Edu.)
Govt. of Uttar Pradesh,
Sachiv Bhawan, Lucknow-226001,
12A, Navin Bhawan,
U.P. Lucknow-226001

Sub: Extension of Approval for the Academic Year 2022-23

Ref: Application of the Institution for Extension of Approval for the Academic Year 2022-23

Sir/Madam,

In terms of the provisions under the All India Council for Technical Education (Grant of Approvals for Technical Institutions) Regulations, 2022 Notified on 4th February, 2022 and amended on 24th February 2022 and norms standards, procedures and conditions prescribed by the Council from time to time, I am directed to convey the approval to

Permanent Id	1-5926911	Application Id	1-10969065377
Name of the Institution	FACULTY OF PG DEGREE IN COMPUTER APPLICATION, R.B.S.COLLEGE, AGRA	Name of the Society/Trust	BALWANT EDUCATIONAL SOCIETY
Institution Address	KHANDARI FARM CAMPUS, KHANDARI, AGRA, AGRA, AGRA, Uttar Pradesh, 282002	Society/Trust Address	KHANDARI FARM CAMPUS, KHANDARI, AGRA, AGRA, AGRA, Uttar Pradesh, 282002
Institution Type	Private-Self Financing	Region	Northern
Year of Establishment	1999		

To conduct following Courses with the Intake indicated below for the Academic Year 2022-23

Level	Program	Course	Affiliating Body (University /Body)	Intake Approved for 2021-22	Intake Approved for 2022-23	NRI Approval Status	FN / Gulf quota/ OCI/ Approval Status
POST GRADUATE	MCA	MASTERS IN COMPUTER APPLICATIONS	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	60	60	NA	NA

To conduct following Dual/Integrated Courses with the Intake indicated below for the Academic Year 2022-23

Level	Program	Course	Affiliating Body (Univ/Body)	Intake Approved for 2021-22	Intake Approved for 2022-23
Integrated	MCA	MASTER OF COMPUTER	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical	120	120

		APPLICATIONS (INTEGRATED)	University, Uttar Pradesh, Lucknow		
--	--	------------------------------	---------------------------------------	--	--

It is mandatory to comply with all the essential requirements as given in APH 2022-23 (Appendix 6)

Important Instructions

1. The State Government/ UT/ Directorate of Technical Education/ Directorate of Medical Education shall ensure that 10% of reservation for Economically Weaker Section (EWS) as per the reservation policy for admission, operational from the Academic year 2019-20 is implemented without affecting the reservation percentages of SC/ ST/ OBC (NCL)/ General. However, this would not be applicable in the case of Minority Institutions referred to the Clause (1) of Article 30 of Constitution of India. Such Institution shall be permitted to increase in annual permitted strength over a maximum period of two years.
2. The Institution offering courses earlier in the Regular Shift, First Shift, Second Shift/Part Time are now amalgamated as total intake and shall have to fulfil all facilities such as Infrastructure, Faculty and other requirements as per the norms specified in the Approval Process Handbook 2022-23 for the Total Approved Intake. Further, the Institutions Deemed to be Universities/ Institutions having Accreditation/ Autonomy status shall have to maintain the Faculty: Student ratio as specified in the Approval Process Handbook. All such Institutions/ Universities shall have to create the necessary Faculty, Infrastructure and other facilities WITHIN 2 YEARS to fulfil the norms based on the Affidavit submitted to AICTE beginning with the Academic Year 2022-23
3. Strict compliance of Anti-Ragging Regulation, Establishment of Committee for SC/ ST, Establishment of Internal Complaint Committee (ICC), Establishment of Online Grievance Redressal Mechanism, Barrier Free Built Environment for disabled and elderly persons, Fire and Safety Certificate should be maintained as Approval Process Handbook and provisions made in AICTE Regulation notified from time to time.
4. In case of any differences in content in this Computer generated Extension of Approval Letter, the content/information as approved by the Executive Council / General Council as available on the record of AICTE shall be final and binding.

Pharmacy Institute: In compliance with the order dated 05.03.2020 passed by the Hon'ble Supreme Court of India in Transferred Petitions (CIVIL) No 87-101 of 2014, for the existing institutions offering courses in Pharmacy Programme, approval of Pharmacy Council of India (PCI) is mandatory and AICTE approval is NOT required. The requirements for running the Programme (Diploma / UG / PG) such as Land & Build-up Area, Student-faculty ratio, Intake etc. will be as per the respective regulatory body (PCI). In case of any inconsistency in the course name and intake for EoA issued by AICTE and the approval by PCI, the approval of PCI shall prevail.

Architecture Institute: In compliance with the order dated 08.11.2019 passed by the Hon'ble Supreme Court of India in CA No.364/ 2005, for the existing Institutions offering Courses in Architecture Programme, approval by the Council of Architecture (CoA) is mandatory and AICTE approval is NOT required. The requirements for running the Programme (Diploma / UG / PG) such as Land & Build-up Area, Student-faculty ratio, Intake etc. will be as per respective regulatory body (CoA). In case of any inconsistency in the course name and intake for EoA issued by AICTE and the approval by CoA, the approval of CoA shall prevail.

Deemed to be University: Institutions Deemed to be Universities (Running Technical Education Programmes), it is mandatory to have AICTE approval from the Academic Year 2018-19 in compliance of the Hon'ble Supreme Court Order dated 03-11-2017 passed in CA No.17869- 17870 /2017.

Prof.Rajive Kumar
Member Secretary, AICTE

Copy to:

1. **The Director Of Technical Education**, Uttar Pradesh**
2. **The Registrar**,
Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow**
3. **The Principal / Director,**

FACULTY OF PG DEGREE IN COMPUTER APPLICATION, R.B.S.COLLEGE, AGRA
Khandari Farm Campus, Khandari, Agra,
Agra,Agra,
Uttar Pradesh,282002

4. **The Secretary / Chairman,**
KHANDARI FARM CAMPUS, KHANDARI, AGRA
AGRA,AGRA
Uttar Pradesh,282002

5. **The Regional Officer,**
All India Council for Technical Education
Govt. Polytechnic Campus
Adjoining Directorate of Technical Education
Vikas Nagar, Kanpur-208 002, Uttar Pradesh

6. **Guard File(AICTE)**

Note: Validity of the Course details may be verified at <http://www.aicte-india.org/>

** Individual Approval letter copy will not be communicated through Post/Email. However, consolidated list of Approved Institutions(bulk) will be shared through official Email Address to the concerned Authorities mentioned above.

This is a computer generated Statement. No signature Required